

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-698 / 14
संस्थापित दि0 01 / 10 / 2014
फाईलिंग नं. 2335040000112014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

अनिल पिता बापूराव जैन, उम्र 46 वर्ष,
 जाति-जैन, पेशा गैस एजेन्सी, नि0 एजेन्सी के पास,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-19/01/2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-507 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 18/08/14 समय 05:00 बजे या दिलीप पाल का मकान बोड़खी आमला के पास, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी दिलीप पाल को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- दिनांक 19/01/17 को फरियादी दिलीप पाल तथा अभियुक्त अनिल जैन के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि थाना आमला को मोबाईल पर जान से मारने की धमकी एवं घर पर आकर अभद्र व्यवहार किये जाने की जाने की जांच कर मामला पंजीबद्ध करने बाबत् एक आवेदन पत्र पेश किया। आवेदन इस प्रकार है कि समस्त आवेदकगण निवासी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल के निवासी पत्रकारिता का कार्य करते है। दिन सोमवार दिनांक 18/08/14 शाम 5 बजे लोक सेवा केन्द्र निर्माण के ठेकेदार द्वारा तहसील कार्यालय से बिजली चोरी की जा रही थी। जिसके फोटो ग्राप्स एवं समाचार उसके द्वारा प्रकाशित किये जा रहे थे कि शाम 6 बजे लोहाड़िया गैस एजेन्सी के अनिल जैन ने पत्रकारों के घरों में जाकर जान से मारने की धमकी दी गई, कहा कि यदि समाचार छपा तो उन लोगों के साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है जिसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। छन्नू बेले के घर पर गया तथा कहा कि समाचार छापना मत नहीं तो बहुत बुरा हो जायेगा, नासीर खान के घर पर गया था और उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई, विरेन्द्र बर्थे, दिलीप पाल, को शाम 9.37 मिनट पर मो0नं0 8435767080 से फोन कर जान से मारने की धमकी एवं परिवार सहित जान से खत्म करने को कहा गया कि यदि समाचार छपा तो कोई दुःखद घटना घट सकती है जिसके जिम्मेदार स्वयं होंगे विरेन्द्र बर्थे के घर भी जाकर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है तथा अन्य लोगों के घर भी जाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उक्त आवेदन प्र0पी0 01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट तैयार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 719/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294, 507, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11/09/14 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी० 2 बनाया गया, दिनांक 29/09/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक के सम्पत्ति जप्त किया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

“आपने दिनांक 18/08/14 समय 05:00 बजे या दिलीप पाल का मकान बोड़खी आमला के पास, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी दिलीप पाल को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी दिलीप पाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा एक खबर अनिल जैन के विरुद्ध छापी गई थी तो वह आए और उसके साथ गाली गलौच की थी और जान से मारने की धमकी दी थी इसके अलावा उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। उसके द्वारा थाना प्रभारी आमला को इस घटना के संबंध में आवेदन दिया था जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल पर पुलिस आई थी। घटना स्थल का नक्शा मौका उसकी निशानदेही पर तैयार किया था जो प्र०पी० 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को शाम को उसे मोबाईल नं. 8435767080 से फोन आया था और जान से मारने की धमकी उसे और उसके परिवार को दे रहा था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसे जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा था केवल इस नम्बर से बातचीत हुई थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है।

08— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका वाद विवाद हुआ था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने विरेन्द्र, नासिर खान, छन्नु बेले और हरि प्रसाद के साथ वाद विवाद हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी दिलीप पाल को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि०

की धारा 507 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी दिलीप पाल को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी दिलीप पाल को मोबाईल फोन पर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्त अनिल जैन को भा०द०वि० की धारा-507 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्त सेमसंग मोबाईल बिल मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०